कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)
Phone & Fax no. 0135-2431159
E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 289/12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 17 / 0 8 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक डबल लेन के निर्माण कार्य हेतु 4.69 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/06/39/2022/एफ0सी0/560 दिनांक–01.08.2024 एवं आपका पत्रांक–333/12–1, दिनांक 08.08.2024 के कम में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर 04 बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में उक्त की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक–430/12–1 दिनांक 21.08.2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि :–

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–18008909715(टोल फ्री)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 430 /12—1 दिनांक 21 / 0 8/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषयः— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक डबल लेन के निर्माण कार्य हेतु 4.69 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भः— पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/ 06/39/2022/FC/560, दिनांक 01.08.2024 , प्रमुख वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून कापत्रांक 333/12—1, दिनांक 08.08.2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर का पत्रांक–147/6 एम0जी0, दिनांक 08.08. 2024 के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर निम्न चार बिन्दुओं पर सूचना अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में वांछित सूचना निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	प्रस्ताव हेतु वांछित सूचना	अनुपालन आख्या
1	A Proper KML file of proposed road (forest & Non forest area) shall be uploaded.	प्रस्ताव में पूर्व में अपलोड की गयी KML File में लाल रंग से प्रस्तावित मार्ग दर्शाया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 7.25 कि0मी0 है, जो पूर्णतः आरक्षित वनभूमि से गुजरता है। शिवपुरी की ओर से पूर्व निर्मित 10 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक--08बी0/यू0सी0पी0/06/ 54/2012/FC/569, दिनांक 26.06.2015 के द्वारा प्राप्त हुयी है जो KML File में नीले रंग से दर्शाया गया है। इसी प्रकार जाजल की ओर से पूर्व निर्मित मोटर मार्ग लम्बाई 5.75 कि0मी0 को बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, जिसमें 2.75 कि0मी0 नापभूमि एवं 3.00 कि0मी0 वनभूमि जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक–08बी0 /यू0सी0पी0/06/186/2005/FC/2967, दि0 02.02.2006 के द्वारा प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण को हरे रंग से दर्शाया गया है, जिसकी लम्बाई 9.150 कि0मी0 है, जो कि पूर्ण रुप से आरक्षित वनभूमि से गुंजरता है।
2	State Government has mentioned in the proposal that proposed road is a bypass route for the Chardham road. Justification in this regard is required to be Subimitted	यह मार्ग स्थानीय ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा हेतु निर्मित किया जाना है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वर्षाकाल के दौरान यदि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 भू–धसाव के कारण प्रभावित होता तो उसी दशा में इस मार्ग का उपयोग यात्रा हेतु किया जायेगा। इस मार्ग का उपयोग किये जाने से लगभग शिवपुरी एवं जाजल के मध्य 34 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी, जिससे लगभग रु 3618.78 लाख के प्राकृतिक ईधन की बचत होने की सम्भावना है। **(संलग्न–01)**
3	In the CA scheme, it is submitted that is proposed CA land only 400 plants/hac. could be planted. Justification in this regard is required to be submitted.	बिन्दु संख्या–03 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में 400 वृक्ष/है0 की क्षतिपूरक वनीकरण योजना त्रुटिपूर्ण है, जिसमें आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त 1000 वृक्ष/है0 की संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्नकों सहित अग्रेत्तर कार्यवाही

वन विभाग
भागीरथी वृत्त
प्राप्ति 1102
पत्रावली 17–1
दिनांक 22/8/2024
उत्तराखण्ड

तत्काल
भार दिया
वृ0 आशुलिपिक

D:\year 2023-24\Letter 2023-24.docx

		हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–02)**
4	It is seen that another proposal with the same name and same area is uploaded on Parivash 2.0 portal (having Online No. FP/UK/OTHERS/458629/ 2024). State Government is requested to process the case in either Parivash 1.0 portal or Parivash 2.0 Portal.	इस सम्बन्ध में महोदय को अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/ 144340/2021 को Reopen के आदेश पत्रांक–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 39 / 2022 / FC / 1042, दि0 09.11.2023 को किये गये। इसके उपरान्त जब खण्ड द्वारा दिनांक 15.01.2024 को प्रस्ताव को ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधित किये जाने का प्रयास किया गया तब प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/144340/2021 प्रदर्शित नहीं हुआ। इस कारण खण्ड द्वारा त्रुटिवश नया प्रस्ताव परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। जिसका प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/458629/2024 है। जिसको खण्ड द्वारा पोर्टल से हटाये जाने हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया। प्रकरण नोडल स्तर से हटाया जाना है। **(संलग्न–03)**

अतः प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न–यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या– 430 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।